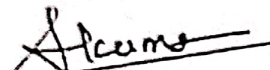


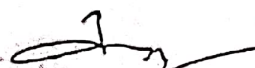
(48)

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग हेतु
6.459 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में कुलिंग रो दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
459 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम सूया के पीथीकुंग आगर के निकट उत्तरांचल नं
2083 में 1.018 है० एवं ग्राम सूया के टवाँ सूया के निकट खसरा सं० 3045 में 11.90 है० भूमि वृक्षारोपण हे
प्रस्तावित किया गया है, जो वृक्षारोपण उपयुक्त है तथा उक्त स्थल में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी,
पृथ्वी पिण्डर रेंज, देवाल,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी।

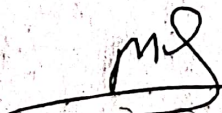
परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव सं०- FI/UK/ROAD/145990/2021

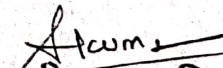
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम:- लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।

वन प्रभाग का नाम:- बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल के अन्तर्गत ग्राम सूयया सिविल भूमि खसरा सं० 3045 में 11.90 है० तथा खसरा सं० 2083 में 1.018 है० कुल 12.918 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया है, जिसका प्रभागीय वनाधिकारी(अधोहस्ताक्षरी) द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें वन क्षेत्राधिकारी पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल व लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी स्थलीय निरीक्षण में मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रस्तावित स्थल में स्थानीय झाड़ियों के अतिरिक्त स्थल वृक्षों से वनाच्छादित नहीं है। अतः स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी,
पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर